उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-51/2001-02

अवधेश कुमार भगत

बनाम्

रवि कुमार एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 14/08/24

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया अवधेश कुमार भगत वो अनिल कुमार भगत वो सिधीनाथ भगत वो कपिलदेव भगत वो जगरनाथ भगत, पेसरान–स्व0 गजाधर भगत वो विश्वनाथ भगत वो उमा प्र0 भगत, पे0–स्व0 रामचन्द्र भगत वो कौशल्या देवी, पति–स्व0 गजाधर भगत, सभी साकिनान–द्वारिकाचक, पथरगामा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–92/93–94 में दिनांक–04.05.94 के आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त आदेश के द्वारा मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 दाग नं0–28 रकवा 02–11–17 धुर जमीन मो0 इन्दिरा, पति–स्व0 कुमरू कुमर वो पुदरी कुमर, पे0–स्व0 रतन कुमर वो मोती कुमर, पे0–स्व0 रतन कुमर, सा0–मधुचक, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के नाम से नामांतरण किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने तृतीय अपर सब जज देवघर कैम्प, गोड्डा के स्वत्व वाद सं0–38/1963 के आदेश दिनांक–27.08.1971 के आधार पर मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 के दाग नं0–28 रकवा 02–11–17 धुर जमीन का नामांतरण किया है। स्वत्व वाद सं0–38/1963 में पारित आदेश अंतिम नहीं था। क्योंकि उक्त स्वत्व वाद के पारित आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्तागण की ओर से विद्वान जिला न्यायाधीश संथाल परगना, दुमका में सिविल मिस अपील सं0–14/1971/02/1986 दायर किया जो बाद में विद्वान जिला न्यायाधीश, गोड्डा न्यायालय में लाया गया। विद्वान जिला न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा स्वत्व वाद के आदेश को निरस्त किया गया एवं प्रतिवादी सं0–12 एवं 13 के वैध उत्तराधिकारी को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाने के लिए विद्वान सबजज गोड्डा को आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में विद्वान सबजज गोड्डा ने प्रतिवादी पक्ष सं0–12 एवं 13 के वैध

उत्तराधिकारी मो0 इन्दिरा पति–स्व0 कुमरू कुमर वो पुदरी कुमर पे0–स्व0 रतन कुमर वो मोती कुमर, पे0–स्व0 रतन कुमर वो मालती देवी, पिता–स्व0 रतन कुमर वो रवि कुमर वो खोसो कुमर वो लीलू कुमर, पे0–स्व0 कुमरू कुमर को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। विद्वान सबजज गोड्डा ने स्वत्व वाद सं0–38/1963 के आदेश दिनांक–08.09.1994 के द्वारा रिविजनकर्त्तागण के पक्ष में निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के अनुसार मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 दाग नं0–28 रकवा 02–11–17 धुर जमीन रिविजनकर्त्तागण को प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के विरूद्व विपक्षीगण की ओर से विद्वान जिला न्यायाधीश गोड्डा के न्यायालय में टाईटल अपील वाद दायर किया गया, जिसका टाईटल अपील वाद सं0–03/94/16/97 पड़ा। विद्वान जिला न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा आदेश दिनांक–23.02.98 के द्वारा अपील वाद को खारिज किया गया। उनका आगे कथन है कि विपक्षीगण द्वारा वर्तमान तसदीक सर्वे में भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन रिविजनकर्त्ता के द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किये जाने के कारण विपक्षीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया। बल्कि मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 के दाग नं0–28 के सम्पूर्ण रकवा पर रिविजनकर्त्तागण के नाम दर्ज किया गया। उनका आगे कथन है कि विपक्षीगण ने मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 दाग नं0–28 रकवा 02–11–17 धुर जमीन का नामांतरण विद्वान सबजज गोड्डा के टाईटल सूट नं0–38/1963 के आदेश दिनांक–27.08.71 के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–04.05.1994 के द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में नामांतरण पारित किया गया। जबकि सब जज, गोड्डा के आदेश को खारिज किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आदेश को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण लगातार लगभग 60 वर्षो से मौजा–मधुचक के जमाबंदी सं0–11 के दाग नं0–28 के रकवा 02–11–17 धुर जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार है। विपक्षीगण उक्त जमीन का उपयोग दादा के समय से ही करते आ रहे हैं। क्योंकि कुमरू कुमर, पुदरी कुमर एवं मोती कुमर के पिता रतन कुमर रिविजनकर्त्ता के पिता के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। उसी सेवा के एवज में रिविजनकर्त्तागण के पिता ने उक्त जमीन विपक्षीगण के पूर्वज को दिया था एवं उसी के आधार पर टाईटल सूट नं0–38/63 वाद दायर किया गया और उक्त टाईटल सूट वाद में विपक्षीगण के पक्ष में निर्णय दिया गया। उनका आगे कथन है कि इस तथ्य को रिविजनकर्त्तागण जानते थे। इसलिए

रिविजनकर्त्तागण की ओर से नामांतरण वाद में पक्षकार बनने के लिए आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया। नामांतरण वाद में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर विपक्षीगण के नाम से नामांतरण किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश नियम के अनुसार सही है। विपक्षीगण ने उक्त नामांतरण आदेश के आधार पर वर्तमान तसदीक सर्वे पर्चा में नाम दर्ज करने हेतु तसदीक सर्वे कैम्प में आवेदन पत्र दाखिल किया। लेकिन रिविजनकर्त्तागण के आपत्ति के आधार पर सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी ने विपक्षीगण के नाम वर्तमान दसदीक सर्वे पर्चा में दर्ज नहीं किया। विपक्षीगण ने सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–25/07–08 मो0 इन्दिरा वगैरह बनाम् सिद्धिनाथ भगत दायर किया है, जो वर्तमान समय में लंबित है। विपक्षीगण ने रिविजनकर्त्तागण के रिविजन आदेश को अस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–293/रा0 दिनांक–08.05.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मधुचक थाना नं0–772 जमाबंदी सं0–11 कुल रकवा 21–11–07 धुर जमीन गेंजर सर्वे में महावीर भगत वल्द उगे भगत कौम बियाहुत कलवार सा0–दुवारीचक खतियान में अंकित है। अंचल अधिकारी, महागामा का आगे प्रतिवेदन है कि मौजा–मधुचक के पंजी–II के पेज नं0–11/ख रकवा 02–11–17 धुर दाग नं0–28 के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय, गोड्डा के मुटेशन केश नं0–92/93–94 आदेश दिनांक–04.05.1994 के आधार पर मो0 इंदिरा जौजे–कमरू कुँवर वो कुदरी कुँवर, पे0–स्व0 रतन कुँवर वो मोती कुँवर, पे0–स्व0 रतन कुँवर, सा0–मधुचक के नाम से जमाबंदी कायम है। वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि पर दाखिल खारिज रैयत मो0 इंदिरा वगै0 के वंशजों के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। पंजी–II में वर्ष 2010–11 तक का लगान वसूली अंकित है। रिविजनकर्त्ता अवधेश कुमार भगत खतियानी रैयत महावीर भगत का वंशज है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–मधुचक के पंजी–II में रकवा 02–11–17 धुर भूमि दाग नं0–28 के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायलय के दाखिल खारिज केश नं0–92/1993–94 आदेश दिनांक–04.05.1994 के आधार पर मो0 इंदिरा जौजे कमरू कुँवर वो कुदरी कुँवर, पे0–स्व0 रतन कुँवर वो मोती कुँवर, पे0–स्व0 रतन कुँवर, सा0–मधुचक के नाम से 11/ख जमाबंदी कायम है। उक्त भूमि पर दाखिल खारिज रैयत मो0 इंदिरा वगैरह के वंशजों द्वारा खेती कार्य किया जा रहा है। उनका आगे मंतव्य है कि रिविजनकर्त्ता अवधेश कुमार भगत खतियानी रैयत

महावीर भगत का वंशज है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल खारिज के आधार पर रैयतों को मूल रैयती अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही उनका मंतव्य है कि अपीलार्थी द्वारा लाया गया अपील वाद स्वीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मधुचक थाना नं0–772 जमाबंदी सं0–11 कुल रकवा 21–11–07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में महावीर भगत वल्द उगे भगत कौम बियाहुत कलवार साकिन दुवारीचक के नाम से दर्ज है। वर्तमान रिविजन दाखिल खारिज केश नं0–92/93–94 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा स्वत्व वाद सं0–38/1963 (गजाधर भगत वगै0 बनाम् भुबु कुमर वगै0) के आदेश दिनांक–27.08.71 के आधार पर मो0 इंदिरा एवं अन्य के नाम से मौजा–मधुचक जमाबंदी सं0–11 दाग नं0–28 के अन्तर्गत रकवा 02–11–17 धुर जमीन का दाखिल खारिज किया गया था। उक्त स्वत्व वाद सं0–38/1963 के आदेश दिनांक–27.08.71 के आदेश के विरूद्ध मो0 कोशल्या देवी एवं अन्य की ओर से जिला न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में सिविल मिस0 अपील नं0–14/1971 एवं 02/1986 दायर किया गया था। उक्त वाद में आदेश दिनांक–17.08.1991 द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकार किया एवं अपर सबजज, गोड्डा के स्वत्व वाद सं0–38/1963 में दिनांक–27.08.1971 के आदेश को निरस्त किया गया है तथा झरी कुमर एवं अन्य 36 की ओर से अपर जिला न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल अपील नं0–03/94 एवं 16/97 अपील आवेदन को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–92/93–94 में दिनांक–04.05.1994 के पारित आदेश सही एवं मान्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नं0–92/93–94 में दिनांक–04.05.94 के आदेश को निरस्त करते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
A. K. Dubey
Adv.

Seen

डी0नं0–137
01–09–2021

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:39:30 +05:30
Location: 192.168.29.8